

उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-1
संख्या-1497/46-1-17-2000/82
लखनऊ दिनांक: 7 अक्टूबर 2017

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में तैनात विशेष सचिव श्री नरेश बहादुर को, उ.प्र. गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के नियम 23 के अन्तर्गत चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्र सुरक्षण सम्बन्धी अपीलों के निस्तारण हेतु पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए परिक्षेत्रवार सुरक्षण अपीलों/रिवीजन के निस्तारण कार्य का आवंटन किया जाता है।

अपील रिवीजन सम्बन्धी पत्रावलियों का रख रखाव सम्बन्धित विशेष सचिव द्वारा अपने स्तर से कराया जायेगा।


(संजय आर भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1497(1)/46-1-17-2000/82 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-गन्ना/चीनी आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
- 4-निजी सचिव, प्रमुख सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग को प्रमुख सचिव को अवलोकनार्थ।
- 5-श्री नरेश बहादुर, विशेष सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग
- 6-निदेशक, उ.प्र. शोध परिषद शाहजहांपुर/उ.प्र. सहकारी गन्ना किसान संस्थान लखनऊ।
- 7-संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग
- 8-चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
- 9-आदेश-पुस्तिका।

आज्ञा से


(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।